

विश्रामकक्ष  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
आजमगढ़।

प्रशासनिक आदेश सं०- 01/09/CJM,AZM 2024

जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़ से विचार-विमर्श करने के उपरान्त फौजदारी वादों तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित वादों के संबंध में पूर्व पारित कार्य-वितरण आदेश संशोधित करते हुए निम्नलिखित कार्य-वितरण आदेश पारित किया जाता है, जो दिनांक 18.09.2024 से प्रभावी होंगे।

न्यायालय का नाम	आवण्टित थाना
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़	1- कोतवाली, सरायमीर, सिधारी, मुबारकपुर, जी०आर०पी०, साइबर क्राइम, से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व धारा 302, 304, 304B, 395, 396 I.P.C से सम्बन्धित समस्त वाद एवं परिवाद एवं सरकारी कर्मचारी से सम्बन्धित समस्त वाद का क्षेत्राधिकार एवं समस्त थानो का 207 एम०वी०एक्ट धारा ,आबकारी अधिनियम तथा अन्य समस्त फौजदारी मामले जिनका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त नहीं है ।
1-न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-10, आजमगढ़ ।	1- देवगांव, निजामाबाद, कंधरापुर, से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व समस्त परिवाद (धारा 302, 304, 304B, 395, 396 I.P.C को छोड़कर) एवं समस्त घरेलू हिंसा सम्बन्धित वाद एवं The Food Safety & Standaeds Act , ई०सी०एक्ट, बाट माप, ए० आर० टी० ओ० से सम्बन्धित समस्त वाद एवं अन्य थानों से सम्बन्धित समस्त वाद जो इस न्यायालय में स्थानांतरित है अथवा भविष्य में किए जाएंगे ।
2- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-11, आजमगढ़ ।	1- महाराजगंज, फूलपुर ,(गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधि०) , बिलरियागंज, से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व समस्त परिवाद (धारा 302, 304, 304B, 395, 396 I.P.C को छोड़कर ) एवं समस्त घरेलू हिंसा सम्बन्धित वाद एवं सिधारी का परिवाद, एवं अन्य थानों से सम्बन्धित समस्त वाद जो इस न्यायालय में स्थानांतरित है अथवा भविष्य में किए जाएंगे ।
3- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-12, आजमगढ़ ।	1- अतरौलिया, दीदारगंज, जीयनपुर, पवई से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व समस्त परिवाद (धारा 302, 304, 304B, 395, 396 I.P.C को छोड़कर) एवं समस्त घरेलू हिंसा सम्बन्धित वाद , मुबारकपुर का परिवाद एवं अन्य थानों से सम्बन्धित समस्त वाद जो इस

	न्यायालय में स्थानांतरित है अथवा भविष्य में किए जाएंगे।
4- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-13, आजमगढ़।	1- मेंहनगर, कसानगंज, अहिरौला, मेहनाजपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व समस्त परिवाद (धारा 302,304, 304B, 395, 396 I.PC को छोड़कर) एवं समस्त घरेलू हिंसा से सम्बन्धित समस्त वाद एवं अन्य थानों से सम्बन्धित समस्त वाद जो इस न्यायालय में स्थानांतरित है अथवा भविष्य में किए जाएंगे।
5- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफ०टी०सी० (सी०डी), आजमगढ़।	1-थाना -रानी की सराय, तरवां, रौनापार से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व समस्त परिवाद (धारा 302,304, 304B, 395, 396 I.PC को छोड़कर) एवं समस्त घरेलू हिंसा सम्बन्धित वाद, सरायमीर का परिवाद से सम्बन्धित समस्त वाद एवं अन्य थानों से सम्बन्धित समस्त वाद जो इस न्यायालय में स्थानांतरित है अथवा भविष्य में किए जाएंगे।
6- न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 19, आजमगढ़।	1-बरदह, से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व समस्त परिवाद (धारा 302,304, 304B, 395, 396 I.PC को छोड़कर) एवं समस्त घरेलू हिंसा सम्बन्धित समस्त वाद एवं अन्य थानों से सम्बन्धित समस्त वाद जो इस न्यायालय में स्थानांतरित है अथवा भविष्य में किए जाएंगे।
7- न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 20, आजमगढ़।	1- जहानागंज, से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व समस्त परिवाद (धारा 302,304, 304B, 395, 396 I.PC को छोड़कर) एवं समस्त घरेलू हिंसा सम्बन्धित समस्त वाद का एवं अन्य थानों से सम्बन्धित समस्त वाद एवं अन्य थानों से सम्बन्धित समस्त वाद जो इस न्यायालय में स्थानांतरित है अथवा भविष्य में किए जाएंगे।
8- न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 24, आजमगढ़।	1-तहबरपुर, गंभीरपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी वाद व समस्त परिवाद (धारा 302,304, 304B, 395, 396 I.PC को छोड़कर) एवं समस्त घरेलू हिंसा सम्बन्धित समस्त वाद एवं कोतवाली का परिवाद एवं घरेलू हिंसा से सम्बन्धित समस्त वाद एवं अन्य थानों से सम्बन्धित समस्त वाद जो इस न्यायालय में स्थानांतरित है अथवा भविष्य में किए जाएंगे।

उक्त कार्य वितरण के आधार पर सम्बन्धित थानों की पत्रावलियाँ सम्बन्धित न्यायालयों में विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित कर दी जाँय।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सम्बन्धित न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार यथावत रहेगा।

संबन्धित न्यायालयों में कार्यरत संबन्धित लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित संबंधित थानों की पत्रावलियाँ नियमानुसार संबन्धित न्यायालयों के कार्यालयों में व्यवस्थित कर प्राप्त करना व कराना तथा कम्प्यूटर में अपलोडिंग करना सुनिश्चित करें।

**दिनांक : 17.09.2024**

( सत्यवीर सिंह )  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
आजमगढ़ ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2-जिलाधिकारी, आजमगढ़।
- 3-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वे जनपद के समस्त थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4-कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
- 5-न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर-12, आजमगढ़।
- 6-न्यायालय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 24, आजमगढ़ ।
- 7-न्यायालय अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 26, आजमगढ़ ।
- 8-वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी आजमगढ़।
- 9-अध्यक्ष, दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, आजमगढ़।
- 10- कम्प्यूटर अनुभाग सर्वर रूम सिविल कोर्ट, आजमगढ़।

**दिनांक : 17.09.2024**

( सत्यवीर सिंह )  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
आजमगढ़ ।

**विश्राम कक्ष**

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जनपद आजमगढ़।

**प्रशासनिक आदेश संख्या- 02/ 09/CJM,AZM -2024**

फौजदारी न्यायालयों के थानों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्व में पारित आदेश दिनांक 22.04.2024 निरस्त करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय की अनुमति से धारा 164 दं० प्र० सं० का बयान जनपद न्यायालय आजमगढ़ में नियुक्त महिला मजिस्ट्रेट, सिविल जज (जू०-डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो संबन्धित थाने के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के अनुक्रम में बयान अन्तर्गत धारा 164 दं० प्र० सं० लेखबद्ध किया जायेगा जो निम्नवत है-

क्र० सं०	पीठासीन अधिकारी का नाम	थाना	अवकाश की अवधि में लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा 164 दं० प्र० सं० का बयान लेखबद्ध किया जायेगा
01	श्रीमती रश्मि चन्द्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०- 10 आजमगढ़।	रानी की सराय। पवई, तरवां, तहबरपुर, बरदह।	श्रीमती विनस कुमार अपर सिविल जज (जू०डि०) न्यायालय सं०- 20, आजमगढ़।
02	श्रीमती सोनम गौतम, अपर सिविल जज (जू०डि०) न्यायालय सं०- 19, आजमगढ़।	कोतवाली, सिधारी, मुबारकपुर, सरायमीर, जहानागंज।	श्रीमती रश्मि चन्द्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०- 10 आजमगढ़।
03	श्रीमती विनस कुमार अपर सिविल जज (जू०डि०) न्यायालय सं०- 20, आजमगढ़।	मेहनगर, बिलरियागंज, जीयनपुर, रौनापार, महिला थाना।	सुश्री जागृति प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, जनपद आजमगढ़।
04	सुश्री जागृति प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, जनपद आजमगढ़।	कंधरापुर, निजामाबाद, देवगांव, जी०आर०पी, साइबर क्राइम, फूलपुर।	श्रीमती मीनल वर्मा सिविल जज (शहर), आजमगढ़।
05	श्रीमती मीनल वर्मा सिविल जज (शहर), आजमगढ़	गम्भीरपुर, कप्तानगंज, अतरौलिया , महाराजगंज, दीदारगंज, अहिरौला, मेहनाजपुर।	श्रीमती सोनम गौतम, अपर सिविल जज (जू०डि०) न्यायालय सं०- 19, आजमगढ़।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्तर्गत धारा 164 दं० प्र० सं० बयान अंकित करने के बाद सील्ड लिफाफे में रखकर सम्बन्धित थाना के क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के मुंसरिम/रीडर को नियमानुसार प्राप्त कराया जायेगा जिसे मुंसरिम/रीडर नियमानुसार सुरक्षित रखेंगे।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में या किसी असा-मान्य परिस्थिति में अन्तर्गत धारा 164 दं० प्र० सं० के बयानों को लिखने का निर्देश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा निर्गत किया जायेगा। उक्त परिस्थिति में आवेदन पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

दिनांक- 17.09.2024

(सत्यवीर सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
आजमगढ़

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2-कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
- 3-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०- 10 आजमगढ़ ।
- 4-अपर सिविल जज ( जू०डि० ) , न्यायालय सं०- 19, आजमगढ़ ।
- 5-अपर सिविल जज ( जू०डि० ) , न्यायालय सं०- 20, आजमगढ़
- 6-प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, जनपद आजमगढ़।
- 7-सिविल जज (शहर), आजमगढ़
- 8-वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी आजमगढ़।
- 9-अध्यक्ष, दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ, आजमगढ़।

दिनांक- 17.09.2024

(सत्यवीर सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
आजमगढ़ ।